चीनी उद्योग नियंत्रणमुक्त हो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने रंगराजन समिति के सुझावों पर अमल किया तो चीनी उद्योग के वारे-न्यारे जरूर हो जाएंगे। यह दीगर है कि उपभोक्ताओं के लिए चीनी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि तब चीनी की कीमतें पूरी तरह से बाजार तय करेगा। साथ ही किसानों पर भी ये सिफारिशें भारी पड़ सकती हैं। इस उद्योग को नियंत्रणमुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन की अगुआई वाली समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

कमेटी की सिफारिशों में चीनी उद्योग को दिल खोलकर रियायतें दी गई है। मिलों से लेवी चीनी की वसूली और रिलीज प्रणाली को समाप्त करने के साथ कई और खास तोहफों की बारिश की गई है। वहीं, किसानों को उनके गन्ने का भुगतान दो किस्तों में करने का सुझाव दिया गया है। भुगतान की पहली किस्त घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) प्रणाली के आधार पर दी जाएगी, जबकि दूसरी चीनी मूल्य के आधार पर होगी। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इन सिफारिशों पर समयबद्ध ढंग से निर्णय करने की बात कही है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश पर इस उद्योग को नियंत्रणमुक्त करने के लिए गठित समिति ने रिपोर्ट में उपभोक्ताओं की सहूलियत के बारे में कुछ खास नहीं कहा है। राशन प्रणाली से गरीबों को मिलने वाली रियायती दर की चीनी बांटने का दायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मिलों को लेवी चीनी और रिलीज ऑर्डर प्रणाली से मुक्त करने की सिफारिश की गई है। अभी कुल चीनी उत्पादन का 10 फीसदी हिस्सा सरकार मिलों से बेहद रियायती दर पर लेवी के रूप में वसूलती है। इससे मिलों पर कुल 3,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। गरीबों को रियायती चीनी के लिए राज्यों को उनके हिस्से के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी, ताकि खुले बाजार से वे चीनी खरीद सकें। रंगराजन ने कहा कि चीनी कीमतों को स्थिर रखने के लिए आयात व निर्यात पर लगने वाले मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा लिया जाना चाहिए। जरूरी होने पर शुल्क दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट बोरों की अनिवार्यता हर हाल में खत्म होनी चाहिए। चीनी उद्योग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बने राज्यों के एसएपी (राज्य समर्थित मूल्य) खत्म होने चाहिए। किसानों को एफआरपी पर पहले किस्त भुगतान की सिफारिश की गई है। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में मिलों के राजस्व में हिस्सेदारी का फार्मूला तैयार किया गया है। इसके तहत मिल गेट मूल्य का 70 फीसद हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। रिपोर्ट में चीनी मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इससे किसानों को गन्ना मनचाही मिलों को बेचने का अधिकार मिल जाएगा।

समिति के चेयरमैन सी रंगराजन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। प्रेट्र

रंगराजन की रिपोर्ट

- लेवी चीनी और रिलीज ऑर्डर प्रणाली समाप्त करने का सुझाव
- इससे उपभोक्ताओं के लिए चीनी हो सकती है कड़वी
- एसएपी खत्म होने से गन्ना किसानों पर भारी पड़ेंगी सिफारिशें
- सरकार लेगी इन सुझावों पर समयबद्ध ढंग से निर्णय : थॉमस

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- गन्ने का भुगतान पहले एफआरपी और फिर राजस्व में हिस्सेदारी के आधार पर
- गन्ना आरक्षित क्षेत्र के प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश
- पीडीएस के लिए खुले बाजार से राज्यों को अब खरीदनी होगी चीनी
- जूट बोरों में पैकेजिंग की अनिवार्यता समाप्त की जाए
- राज्यों के एसएपी घोषित करने के अधिकार को खत्म करना जरूरी
- चीनी के आयात-निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त हो
- आवश्यक होने पर शुल्क की दरों को घटाया-बढ़ाया जाए
- बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव के आधार पर मिलें बेच सकेंगी चीनी
- सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र के साथ राज्यों की सहमति भी होगी जरूरी